तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/05/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 के शिविर ग्राम पंचायत चन्दलाई मे पेश हुई। वाद पत्र के अनुसार विवादित भूमि ख.न. 1245, 614, 765, 801, 850, 852, 902, 903, 932, 933, 934, 1197, ग्राम चन्दलाई प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत तकासमा नही हुआ है। अतः विधिवत तकासमा होने तक प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2066–69, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी, आदि संलग्न है। अप्रार्थी सं0 3 के जवाब के अनुसार प्रार्थी , अप्रार्थी सं0 3 को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग व अंतरण से रोकना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। हमने पत्रावली एवं सलंग्न जमाबंदी का अवलोकन किया। जमाबंदी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है और सहखातेदारों का अपने खाते की भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। चूंकि प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी सं0 1 ता 3 भी उक्त विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है और यदि सहखातेदारो को उक्त भूमि के संबंध मे पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अन्य सभी सहखातेदारो को होने की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी मात्र प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। अतः चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 उक्त विवादित भूमि के सहखातेदार है और सहखातेदारो को उनकी भूमि के उपयोग एवं भूमि से संबंधित अन्य अधिकारो के प्रयोग के लिए पाबन्द करना न्यायोचित नही है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र फैसलशुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो। (डॉ.सूरजसिंह नेगी) उपखण्ड अधिकारी, टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	

Scanned by CamScanner